न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 58/2013

अपीलांट

मैथी पत्नी हीराजी मेरात, उम्र 60 वर्ष निवासी सोडपुरा नानना तहसील रायपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. प्रेमसिंह पुत्र चेनसिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा, रिसाला रोड, जोधपुर जिला पाली
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत
3. अमरसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासीगण मकान नंबर 18 रिसाला रोड पृथ्वीपुरा जोधपुर जिला जोधपुर
4. हैदर खां पुत्र दिना जाति मेरात निवासी झांक तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. श्रीमान तहसीलदारा एवं उप पंजीयक महोदय, रायपुर भूमिधारी राजस्थान सरकार, तहसील रायपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दिनेश सैन, भूपेन्द्र सैन,, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक :30.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 215/2008 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर के खसरा नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 140 कुल रकबा 72 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नंबर 105 रकबा 0.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन तेड के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादग्रस्त आराजी को शामलती रूप से क्रय कर मौके पर तीनो बराबर काबिज हुए। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज किया जाना चाहिये थां। किन्तु अधीनस्थ कर्मचारियो व पटवारी हल्का ने वादी का नाम दर्ज नही किया। म्यूटेशन संख्या 413 की पालना में वादी को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। अत वादी ने वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवाडे का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 अमरसिंह द्वारा कृषि भूमि खसरा नंबर 141 व 144 में से अपने हिस्से की आराजी का बेचान दिनांक 12.03.2001 को हैदरखां को कर दिया गया तथा उक्त बेचान के आधार पर हैदरखा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के लंबित रहते हुए दिनांक 26.02.2009 को पक्षकार संयोजित किया गया। इसके पश्चात अमरसिंह ने कृषि भूमि खसरा नंबर 105, 140, 142, 143, 145, 146, 148, कुल रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा के 1.2 हिस्से को दिनांक 16.02.2009 को मैथी पत्नी हीरा जाति मेरात निवासी सोनपुरा नानना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान हस्तांतरण कर दिया। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को होने के पश्चात मैथी को पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया , जो स्वीकार किया जाकर मैथी पत्नी हीरा मेरात को दिनांक 29.07.2011 को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया। उसके पश्चात वाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की तामिली हेतु एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के संशोधित जवाबदावा हेतु मुकर्रर था। इसी दौरान पेशी दिनांक 16.04.2013 को वाद के उपरोक्त स्टेज पर वादी का धारा 53 आर.टी.एक्ट का अनुतोष विड्रो कर शेष वाद को प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के नोटिस विधिवत रूप से तामिल करवाये बिना, बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नही हैं। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर के खसरा नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 140 कुल रकबा 72 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नंबर 105 रकबा 0.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन तेड के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर के खसरा नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 140 कुल रकबा 72 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नंबर 105 रकबा 0.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन तेड के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादग्रस्त आराजी को शामलती रूप से क्रय कर मौके पर तीनो बराबर काबिज हुए। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज किया जाना चाहिये थां। किन्तु अधीनस्थ कर्मचारियो व पटवारी हल्का ने वादी का नाम दर्ज नही किया। म्यूटेशन संख्या 413 की पालना में वादी को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। अत वादी ने वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवाडे का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 अमरसिंह द्वारा कृषि भूमि खसरा नंबर 141 व 144 में से अपने हिस्से की आराजी का बेचान दिनांक 12.03.2001 को हैदरखां को कर दिया गया तथा उक्त बेचान के आधार पर हैदरखा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के लंबित रहते हुए दिनांक 26.02.2009 को पक्षकार संयोजित किया गया। इसके पश्चात अमरसिंह ने कृषि भूमि खसरा नंबर 105, 140, 142, 143, 145, 146, 148, कुल रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा के 1.2 हिस्से को दिनांक 16.02.2009 को मैथी पत्नी हीरा जाति मेरात निवासी सोनपुरा नानना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान हस्तांतरण कर दिया। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को होने के पश्चात मैथी को पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया , जो स्वीकार किया जाकर मैथी पत्नी हीरा मेरात को दिनांक 29.07.2011 को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया। उसके पश्चात वाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की तामिली हेतु एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के संशोधित जवाबदावा हेतु मुकर्रर था। इसी दौरान पेशी दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16.04.2013 को वाद के उपरोक्त स्टेज पर वादी का धारा 53 आर.टी.एक्ट का अनुतोष विड्रो कर शेष वाद को प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि अमरसिंह ने कृषि भूमि खसरा नंबर 105, 140, 142, 143, 145, 146, 148, कुल रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा के 1.2 हिस्से को दिनांक 16.02.2009 को मैथी पत्नी हीरा जाति मेरात निवासी सोनपुरा नानना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान हस्तांतरण कर दिया। जिसकी जानकारी होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मैथी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मैथी को वाद के संबध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त हैदरखा को जारी नोटिस "यहां पर नहीं रहते है" की रिर्पोट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद की कोई जानकारी नही थी, जिससे उक्त पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नही हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 का नोटिस बिना विधिवत तामिल कराये, बिना सुनवाई का अधिकार दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली